न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 32/2020

शाहबाज खान राष्ट्रीय पहलवान आरटीआई कार्यकर्ता हकीम याहयां मियां का मकान सरदार रेजिडेन्सीयल पैलेस पंचकुईया दरवाजा पुरानी टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोडारायसिंह

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 19-10-2020

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह, जिला टोंक को आवेदन पत्र प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :-

1. According to record पुरानी चुंगी नाका मोहल्ला देशवाली से गांव केरली की दूरी (रास्ते मय फीट) की सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
2. According to record पुरानी चुगी नाका से बायला बॉध की दूरी की (रास्ता मय फीट) की सूचना।
3. दोनो रास्तो मे सरकारी बावडियों की संख्या की सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
4. जनहित के लिए According to record रास्ते की सूचना एवं बावडियों की संख्या दोनो जगह की उपलब्ध करवाई जावे।
5. नन्दराम जी कुआं दन्द बावडी का रास्ता कृषि मंडी के पास पेट्रोल पम्प के पास जाने -आने का रास्ता According to record कितना है, एवं अभी मौजूदा आने-जाने के रास्ते की मय फीट लम्बाई चौडाई की सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
6. टोडारायसिंह में According to record कितनी बावडियॉ है सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
7. बावडिया जनहित कि लिये हे या व्यक्तिगत हित के लिए, जनहित की एवं व्यक्तिगत हित की बावडियों की सूचना According to record उपलब्ध करवाई जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 11:22:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह से आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध मे जवाब तलब किया गया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह ने उनके पत्र कमांक 6034 दिनाक 29–9–2020 से जवाब प्रेषित किया है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना पत्र कमांक 4481 दिनांक 4–8–2020 से भिजवाई जाकर आवेदक को सूचित किया जा चुका है। तहसीलदार टोडारायसिंह के जवाब की प्रति आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ भी संलग्न कर प्रस्तुत की है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसके अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसील कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजी रिकार्ड जो कार्यालय में उपलब्ध हो वहीं दिया जा सकता है, इस सम्बन्ध में आवेदक को जवाब भिजवाया जा चुका हैं। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 11:22:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner